भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2325

उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

प्रावेशिक स्तर पर प्रोफेसरों की भर्ती के लिए यूजीसी नियम

†2325. श्री पी.वेलुसामी:

श्री एस.आर. पार्थिबन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रावेशिक स्तर पर प्रोफेसरों की भर्ती करने और सहायक प्रोफेसरों के लिए पीएचडी की डिग्री को वैकल्पिक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम में परिवर्तन करने हेतु कोई तर्क है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तर्क का आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और पद्धतियों से कोई तुलना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन कैसा है; और

(ड.) क्या सरकार के पास वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और रैंकिंग में सुधार करने संबंधी कोई दृष्टिकोण है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 निर्धारित करता है कि दिनांक 01 जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। उक्त प्रावधान को यूजीसी द्वारा यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के तहत हटा दिया गया ताकि शिक्षण पेशे में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके और सर्वोत्तम उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग मानदंड तय करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन दिया जा सके।

(ग) और (घ): विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय शिक्षकों की भर्ती के लिए शायद ही कभी कठोर नियमों का पालन करते हैं। वे हमेशा सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में भी, आईआईटी, विषय के आधार पर, पीएचडी के बिना प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति करते

हैं। अपने विज्ञापनों में, आईआईटी यह भी उल्लेख करते हैं कि असाधारण रूप से उत्कृष्ट उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव संबंधी आवश्यकताओं में छूट दी जा सकती है।

(ड.): यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि अनुसंधान उत्पादकता बढ़ाने, उद्योग, सरकार, समुदाय-आधारित संगठनों और स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने और संसाधनों और वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान तक अधिक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक परिवेश तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नया ज्ञान सृजन करने में मदद करना, विश्वसनीय, प्रभावशाली और निरंतर अनुसंधान उत्पादन के लिए एक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और बौद्धिक विकास को सुविधाजनक बनाना है जो गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देगा। वर्तमान में देशभर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 1500 से अधिक आरडीसी स्थापित हो चुके हैं।

इसके अलावा, यूजीसी ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए डिग्री प्रोग्राम में इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप को शामिल करने के लिए वर्ष 2020 में इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश शुरू किए।

उपरोक्त के अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थान को अपने लंबे करियर में अर्जित ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान में अतिथि संकाय के रूप में उद्योग विशेषज्ञों और पेशेवरों को शामिल करने में सक्षम बनाने के लिए, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रोक्टिस को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यकता के अनुसार और प्रकाशित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए सतत और जीवंत विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज सिस्टम संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय-उद्योग (यूआई) सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है ताकि संकाय और छात्रों को शामिल करके उच्च सामाजिक प्रासंगिकता की व्यावहारिक अनुसंधान एवं विकास समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसका उद्देश्य देश भर के उद्योगों/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संगठनों/सामाजिक संगठनों सहित अन्य संगठनों में प्रशिक्षण के अवसर और प्रशिक्षुता के अवसर पैदा करना भी है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भाग लेने के लिए संभावित संस्थानों के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है। शिक्षा मंत्रालय ने नियोक्ता प्रतिष्ठा सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं, जो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थान को उनके मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए रैंकिंग संगठन के साथ क्षमता निर्माण सत्र भी आयोजित किए गए थे।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित पहल भी की गई हैं:

I. यूजीसी ने दिनांक 02.05.2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियमों को अधिसूचित किया।

II. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 को 07.11.2023 को अधिसूचित किया है।

III. बहु-विषयक शिक्षा के दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 02.09.2022 को "उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए।

इन सभी पहलों के परिणामस्वरूप, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग" में स्थान प्राप्त भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (डब्ल्यूयूआर) 2014 में 9 से बढ़कर डब्ल्यूयूआर 2024 में 45 पर पहुंच गए हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2019 में 49 से बढ़कर 2024 में 91 पर पहुंच गई और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी-एशिया रैंकिंग 2024 में शामिल 856 में से 148 विश्वविद्यालयों के साथ भारत सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बना हुआ है और इसने सबसे अधिक 37 नए प्रवेशकों का योगदान भी दिया है। इसके अलावा, एल्सेवियर रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाशनों की कुल संख्या भी (2012-2016) में 6,61,912 से बढ़कर (2017-2021) में 10,12,624 हो गई है।

*****